रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230779
SG-DL-E-28102021-230779

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 234
No. 317]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 234

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2021

सं. फा. डीसी/ए.आर.यू./परिवहन/2011–12–पार्ट/101418.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 96 के खंड (xviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियामावाल, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाना प्रस्तावित है, तथा इससे प्राभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इससे इन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार इसे प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि के 03 दिन की अवधि बीतने के बाद, निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले किन्ही आपत्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ–साथ विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली– 110054 या ई–मेल पर commtpt@nic.in को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (.......... संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
नियम 71 डी का संशोधन	नियम 71 डी को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :– **नियम 71 डी–बसों के लिए विविध रंग योजना, नियम 71 ए, 71 बी और 71 सी में निर्दिष्ट के अलावा तथा अन्य परिवहन वाहनों के लिए** आयुक्त, परिवहन लिखित आदेश द्वारा अन्य श्रेणियों की बसों के लिए कोई भी रंग योजना निर्दिष्ट कर सकते हैं, जोकि नियम 71ए, 71बी और 71 सी में निर्दिष्ट नहीं है तथा अन्य परिवहन वाहनों के लिए, जिसकी रंग योजना इन नियमों में निर्दिष्ट नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th October, 2021

No. F.-DC/ARU/TPT/2011-12/part/101418.—In exercise of the powers conferred by Clause (xviii) of Section 96 read with sub-section 41 of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the following draft rules, further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which the Government of National Capital Territory of Delhi proposes to make, is hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of three days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Pr. Secretary-com-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054 or on e-mail at commtpt@nic.in.

DRAFT RULE

Short Title and Commencement	(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (______ Amendment) Rules, 2021. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Amendment in rule 71-D	The rule 71-D is substituted as under: Rule 71D – **Miscellaneous colour scheme for buses, other than specified in Rules 71A, 71B and 71C and other transport vehicles** The Commissioner, Transport may by order in writing specify any colour scheme for other categories of buses, other than as specified above in Rules 71A, 71B and 71C and other transport vehicles, the colour scheme of which is not specified in these rules.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

K. K. DAHIYA, Special Secy. (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.28 12:51:22 +05'30'